

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2024—अग्रहायण 1, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2024

क्र. एफ-649-2130414-24-इकसठ-लोसेप्रे-पी.एस.जी.-41.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्रे-1-पी.एस.जी.-41, दिनांक 15 सितम्बर 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 41.6 को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है :-

डी-नोटिफाई

उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा :-

- (1) सेवा क्रमांक 41.6 अंकसूची में संशोधन को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, अपर सचिव.